फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

राजेन्द्र बनाम कजोड़ वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 66/2025

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.08.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है अप्रार्थीगण विवादित भूमि को बिना तकास्मा करवाए गलत तरीके से बेचान करने पर आमादा है तथा निर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रकरण में जारी अस्थाई निषे0 को मूल वादपत्र के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी विवादित भूमि में सहखातेदार है तथा अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करने का उसे पूर्ण अधिकार है, तथा प्रार्थी जो कि अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र है, के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज परेशान करने की नियत एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषे0 प्राप्त की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषे0 की आड़ में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को उसके स्वंय के हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तथा नियमानुसार भी सहखातेदार को अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए पत्रावली में जारी अस्थाई निषे0 खारिज की जावें उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अप्रार्थीगण का हिस्सा दर्ज है। भूमि में सहखातेदार होने से अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग करने के अप्रार्थी का पूर्ण हक अधिकार है तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से प्राईमा फैसी सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए उन्हें उनकी स्वंय की सहखातेदारी भूमि में अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषे0 दिनांक 03.06.2025 को खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	